न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान सुलोचना बनाम कुलदीप कौर आदि

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 245/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
27.09.2023	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में यह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी कि प्रश्नगत भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें। संयुक्त खाता की भूमि में किसी भी सह खातेदार को किसी विशिष्ट भू भाग पर खाता विभाजन से पूर्व किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 7 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 के अन्तर्गत अविभाजित भूमि पर डिग्गी का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। रेस्पो0 सं0 7 को किसी प्रकार निर्माण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रकरण में डिग्गी अथवा अन्य किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण को रोका जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1981 पेज 639, आरआरडी 1987 पेज 330, 2019 (2) सीजे सिविल राज. पेज 963, 2012 (4) सीसीसी पेज 435, डीएनजे 2021 रेव. पेज 212 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। केवियटकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने 25.05.2023 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी, जो कि एक अंतिरिम आदेश है उसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है तथा दिनांक 28.07.2023 को पारित आदेश प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी पर जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती केवल निगरानी ही प्रस्तुत की जा सकती है। एक सह	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश नहीं कर सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 (1) आरआरटी पेज 113 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण सं0 101/2023 अनवान सुलोचना बनाम कुलदीप कौर आदि में दिनांक 25.05.2023 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी, जो कि एक अंतरिम आदेश है उसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है तथा दिनांक 28.07.2023 को पारित आदेश प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी पर जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती केवल निगरानी ही प्रस्तुत की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार असीवाल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़